

अल्पकालीन निविदा सूचना
उ०प्र० पुलिस विभाग, जनपद-मीरजापुर।

395-छानवे विधान सभा उप निर्वाचन-2023 के परिप्रेक्ष्य में चुनाव ड्यूटी में लगे सी०ए०पी०एफ०/यू०पी०एस०ए०पी० के व्यवस्थापन स्थल पर निर्धारित मानक के अनुसार व्यवस्था/ब्रीफिंग हेतु विशेष आवश्यकतानुसार आंकलन के लिए स्थानीय स्तर पर गठित समिति की आख्या दिनांकित 26.04.2023 में प्रस्तावित विभिन्न सामग्री किराये पर आपूर्ति किये जाने के निमित्त कतिपय शर्तों के अधीन, जिनका विवरण नीचे अंकित है, (विभिन्न प्रयोजनों हेतु अलग-अलग) अल्पकालिक निविदा दिनांक 05-05-2023 को अपरान्ह 13.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है:-

क्र० सं०	नाम जनपद	किराये पर लिये जाने वाली सामग्री का नाम	किराये पर लिए जाने वाली सामग्री की कुल आवश्यकता की संख्या	कितने अवधि हेतु आवश्यकता है (घंटे के अनुसार)	किराये पर लिए जाने का औचित्य एवं कारण
1	2	3	4	5	6
प्रयोजन-सी०ए०पी०एफ०/यू०पी०एस०ए०पी० के व्यवस्थापन हेतु					
1	मीरजापुर	अस्थायी बाथरूम शहरी क्षेत्र	52 अदद	528 घंटा (22दिन)	उप चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस बल के व्यवस्थापन स्थल पर मानक के अनुसार समुचित व्यवस्था करने हेतु
2		अस्थायी बाथरूम ग्रामीण क्षेत्र	80 अदद	528 घंटा (22दिन)	
3		मैटिंग/दरी (बिछाने हेतु)	200 अदद	528 घंटा (22दिन)	
4		जनरेटर (5/7.5केवीए)	23 अदद	528 घंटा (22दिन)	
5		हैलोजन लाइट	69 अदद	528 घंटा (22दिन)	

प्रयोजन-ब्रीफिंग (मतदान) हेतु					
1	2	3	4	5	6
1	मीरजापुर	पण्डाल	33250 वर्ग फिट	24घंटे	उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, लखनऊ के पत्रसंख्या: सामान्य/बारह-150 (वि०स०चु०-22)-2022, दिनांक 15.1.2022 में अंकित विवरण के आधार पर स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप
2		दरी	2000 वर्ग फिट	24घंटे	
3		कुर्सी प्लास्टिक	2,000 अदद	24घंटे	
4		फैन्सी कुर्सी	100 अदद	24घंटे	
5		माईक	02 सेट	24घंटे	
6		हार्न	12 अदद	24घंटे	
7		माईक लाइन	68X5मीटर	24घंटे	
8		विद्युत लाइन	68X5मीटर	24घंटे	
9		मेज	15 अदद	24घंटे	
10		पैडेस्टल पंखा	40 अदद	24घंटे	
11		जनरेटर 40केवीए	एक अदद	24घंटे	
12		टिन/कनात	300 अदद	24घंटे	
13		मजदूर (10+10) साफ सफाई व अन्य कार्य हेतु	20 अदद	24घंटे	
14		कूलर	10 अदद	24घंटे	

प्रयोजन-अन्तर्राज्यीय/अन्तर्जनपदीय सीमा सील करने के लिए बैरियर लगाया जाना					
1	2	3	4	5	6
1	मीरजापुर	पण्डाल (14 स्थानों के लिए प्रति 12X10वर्ग फिट)	1,680वर्ग फिट	48 घंटा	उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या: सामान्य/बारह-150 (वि०स०चु०-22)-2022, दिनांक 15.1.2022 में अंकित विवरण के आधार पर स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप 14 अन्तर्राज्यीय सीमा एवं अन्य बैरियर की आवश्यकता के दृष्टिगत 02 दिवस की आवश्यकता के अनुरूप
2		बैरियर	14 अदद	48 घंटा	
3		कुर्सी प्लास्टिक प्रत्येक के लिए 06-06	84अदद	48 घंटा	
4		मेज	14 अदद	48 घंटा	

उपर्युक्त सभी प्रयोजनों हेतु अलग-अलग निविदा फार्म भरा जायेगा तथा सभी प्रयोजनों की निविदा मुहर बन्द लिफाफे में अलग-अलग डाली जायेगी। यह निविदा दिनांक 06.05.2023 को अपरान्ह 14.00 बजे अधिकृत प्रतिनिधि (राजपत्रित अधिकारी अथवा समिति) द्वारा खोली जायेगी। निविदा खोलने के समय निविदा में प्रतिभाग करने वाले फर्म/टेकदार के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

निविदा की शर्तें:-

- 1- निविदा दाता फर्म का नियमानुसार व्यापार कर/जी0एस0टी0/पैन में पंजीकरण होना अनिवार्य है, निविदा के साथ पंजीकरण प्रमाण-पत्र की पठनीय छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा स्वतः निरस्त समझी जायेगी। किसी अन्य संस्थान से ब्लैकलिस्ट की गयी फर्म निविदा डालने हेतु अर्ह नहीं होगी।
- 2- निविदा फार्म का मूल्य रू0 500-00 है, जो निविदा आमंत्रित करने की तिथि से एक दिवस पूर्व तक कार्यालय अवधि तक पुलिस कार्यालय, मीरजापुर से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा अस्वीकृत होने की दशा में सम्बन्धित फर्म को उक्त धनराशि वापस नहीं की जायेगी।
- 3- प्रत्येक निविदादाता को 02 अलग-अलग लिफाफा मुहरबन्द करके एक बड़े मुहरबन्द लिफाफे में डालना होगा, जिसमें पहला लिफाफा टैक्निकल बिड तथा दूसरा लिफाफा फाइनेन्सियल बिड का होगा। दोनों लिफाफे पर बिड का नाम सुस्पष्ट अक्षरों में अंकित होना चाहिए।
- 4- इच्छुक निविदादाता निविदा फार्म निविदा प्रकाशन की तिथि से टेण्डर डाले जाने की तिथि के एक दिवस पूर्व तक किसी भी दिन कार्य दिवस में प्रधान लिपिक शाखा, पुलिस कार्यालय, मीरजापुर में निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। निविदा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष दिनांक 05-05-2023 को समय 10.00 बजे से अपरान्ह 13.00 बजे तक रखे गये टेण्डर बाक्स में डाला जायेगा तथा उसी दिन अपरान्ह 14.00 बजे अधोहस्ताक्षरी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा खोला जायेगा।
- 5- निविदा में अंकित उपर्युक्त सामग्री का आंकलन अनुमानित है, जिसके वास्तविक स्थिति का आंकलन करते हुए तदनुसार निविदा स्वीकृत होने पर कार्यादेश निर्गत किया जायेगा और फर्म को कार्यादेश के अनुसार ही सामग्री का भुगतान किया जायेगा, इसलिए निविदा में प्रकाशित सामग्री का ही कार्यादेश/भुगतानादेश निर्गत किया जाए, ऐसी कोई बाध्यता नहीं होगी और इसके लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।

(क) टैक्निकल बिड:-

- 1- इस बिड में फर्म का भाग एक, जिसमें यथा-निविदा दाता फर्म/प्रोपराइटर का नाम, पिता-पत्नी का नाम व पता, व्यापार कर, जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति, मोबाईल नम्बर, अर्नेस्ट मनी जमा करने मूल्य (एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0) जो पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर के नाम से बंधक के रूप में होगा, संलग्न किया जायेगा।
- 2-कनात,शौचालय एवं इस प्रकार के कार्य करने का विगत 03 वर्ष का अनुभव होने विषयक प्रमाण-पत्र।
- 3-पूर्व में जनपद मीरजापुर के किसी अन्य शासकीय विभाग में कार्य करने सम्बन्धी अभिलेख की प्रति।

(ख) फाइनेन्सियल बिड:-

- सर्वप्रथम टैक्निकल बिड खोली जायेगी तथा उक्त बिड में निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने वाली फर्म की फाइनेन्सियल बिड खोली जायेगी। फाइनेन्सियल बिड में निविदा फार्म का भाग-2 पूर्ण रूपेण भरा जायेगा, जिसमें किराये पर लिए जाने वाली सामग्री का मात्रा/अवधि के आधार पर दर का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।
- 1- उपरोक्त समस्त आईटमों को आवश्यकतानुसार (समयावधि/सामग्री) कम या ज्यादा किए जाने तथा उनके उपभोग अवधि को घटाये-बढ़ाये जाने का पूर्ण अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। टेण्डर में अस्थायी बाथरूम (शहरी/ग्रामीण क्षेत्र) के लिए निविदा में अंकित दर घंटा के आधार पर निर्धारित न होकर बल्कि सम्पूर्ण अवधि के लिए अंकित की जायेगी। शेष अन्य वस्तु/सामग्री/मात्रा के सम्बन्ध में प्रति 24घंटे की दर से प्रति अदद की धनराशि का उल्लेख किया जायेगा, जिससे जितनी मात्रा में वस्तु/सामग्री का जितनी अवधि तक उपयोग किया जायेगा, उसी के अनुसार धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
 - 2- किसी भी निविदा को किसी भी स्तर पर स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा तथा उक्त निर्णय के विरुद्ध किसी फर्म व ठेकेदार को किसी भी न्यायालय के समक्ष वाद दायर करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
 - 3- निविदा के साथ प्रथम प्रयोजन हेतु रू0 11,000-00, द्वितीय प्रयोजन हेतु रू0 5,000/- एवं तृतीय प्रयोजन हेतु रू0 1,000/- अर्नेस्ट मनी (नकद) के रूप में जमा करना अनिवार्य है।
 - 4- जिस फर्म की निविदा अंतिम रूप से स्वीकृत होगी, उसे सही प्रकार से कार्य करने सम्बन्धी इस आशय का अनुबन्ध पत्र भरना होगा कि चुनाव के अंतिम समय तक यदि किसी सामग्री की आवश्यकता होगी तथा उसे पहुँचाने हेतु निर्देशित किया जायेगा तो उसे तत्काल आपूर्ति करना होगा। उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति निर्धारित स्थानों (जनपद के विभिन्न स्थानों जहाँ पर सम्बन्धित बल व्यवस्थापित होगा) पर की जायेगी तथा भण्डारण एवं रख-रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिस फर्म की निविदा स्वीकृत हुई हो, की होगी। किसी भी सामग्री को लाने व ले जाने सम्बन्धी किराया-भाड़ा अलग से प्रदान नहीं किया जायेगा।
 - 5- निविदाकर्ता के पास उपलब्ध सामान एवं सामग्री के भण्डारण स्थल का निरीक्षण किए जाने का अधिकार पुलिस विभाग के पास होगा। निरीक्षण किए जाने का निर्णय लिए जाने पर सामग्री का भण्डारण जनपद में कहीं प्रत्यक्ष रूप से कमेटी को दिखाना होगा।
 - 6- निविदा में उल्लिखित सामग्री के अतिरिक्त विशेष आवश्यकता पड़ने पर अन्य सामानों की सम्पूर्ति भी सम्बन्धित फर्म को करनी पड़ेगी।
 - 7- आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होनी चाहिए। सामग्री की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर सामग्री वापस कर दी जायेगी तथा उसके स्थान पर निविदादाता फर्म/ठेकेदार को पुनः अच्छी गुणवत्ता के सामग्री की आपूर्ति समयान्तर्गत करनी होगी।

- 8- निविदा स्वीकृत होने के 03 दिवस के अन्दर जमानत धनराशि के रूप में न्यूनतम निविदा के धनराशि की 05 प्रतिशत धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा निरस्त कर शेष निविदाकर्ताओं में से न्यूनतम निविदा प्रस्तुत किए जाने वाले फर्म/व्यक्ति की निविदा स्वीकृत कर दी जायेगी।
- 9- आपूर्तिकर्ता द्वारा आवश्यकतानुसार आपूर्ति हेतु निर्देशित किए जाने के उपरान्त यदि समय से आपूर्ति नहीं की जाती है, तो निविदाकर्ता द्वारा जमा की गयी जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी तथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- 10- निर्माण सम्बन्धी कार्यों में पानी की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं करना होगा।
- 11- कार्य पूर्ण होने के एक सप्ताह के अन्दर बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा बिलम्ब आदि के लिए सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार उत्तरदायी होंगे।
- 12- निविदा स्वीकृति का कार्यादेश प्राप्त होने के बाद सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार निर्धारित तिथि तक सम्पूर्ण निविदा कार्य/सम्पूति आदि व्यवस्था पूर्ण कर लेगा। यह व्यवस्था फर्म/ठेकेदार द्वारा स्वयं अपने कर्मचारी/संसाधन के माध्यम से किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक आदेशित फर्म/ठेकेदार द्वारा अपेक्षित व्यवस्था नहीं की जायेगी, तो उस फर्म के ठेकेदार/फर्म की धरोहर/जमानत धनराशि जब्त कर लिया जायेगा तथा दूसरे फर्म तथा ठेकेदार को कार्यादेश निर्गत करा दिया जायेगा, साथ ही उसे ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही भी की जायेगी।
- 13- बिलों का भुगतान उ0प्र0शासन/पुलिस मुख्यालय द्वारा नियत मानक के अंतर्गत आवंटित अनुदान से किया जायेगा।
- 14- किसी प्रकार की सशर्त निविदाएँ नहीं की जायेगी, अन्यथा उन्हें स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 15- स्वीकृत निविदादाता फर्म/ठेकेदार से नियमानुसार अनुबन्ध किया जायेगा।
- 16- निर्धारित शर्तों का पालन न करने वाले ठेकेदार/फर्म का टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।
- 17- निविदा न्यूनतम दर के आधार पर स्वीकृत की जायेगी। यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित शर्तों एवं क्वालिटी में अन्तर पाया जायेगा, तो किसी भी फर्म की निविदा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास पूर्णतया सुरक्षित रहेगा।
- 18- लाउडस्पीकर व माईक व्यवस्था में भी पृथक से तार के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी। इसी प्रकार जनरेटर में भी तार के लिए अलग से अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।
- 19- अधोहस्ताक्षरी सबसे कम धनराशि वाले निविदा/अथवा किसी निविदा को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने के लिए स्वतंत्र हैं तथा निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।
- 20- विद्युत व्यवस्था में तार/होल्डर की कीमत भी बल्ब/हैलोजन के साथ सम्मिलित होगी।
- 21- जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में कार्यवाही वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के नोटिफिकेशन सं0 12/2017 सेन्ट्रल टैक्स(रेट) दिनांक 28.06.2017 में निहित प्राविधानों एवं के अनुरूप किया जायेगा।
- 22- अस्थाई बाथरूम (शौचालय/स्नानागार) के उपभोग के उपरान्त फर्म द्वारा किराये पर ली गयी सामग्री वापस लेने के उपरान्त वहाँ पर स्वच्छता का ध्यान रखते हुए समतलीकरण आदि की कार्यवाही करायी जायेगी, जिसका अलग से कोई चार्ज देय नहीं होगा।
- 23- उपचुनाव ड्यूटी के परिप्रेक्ष्य में जनपद में आगमन करा चुके सी0ए0पी0एफ0 के व्यवस्थापन स्थल पर स्थानीय स्तर पर करायी गयी व्यवस्था का समायोजन भी निविदा स्वीकृतकर्ता फर्म द्वारा करते हुए बिल भुगतान प्रस्तुत करना होगा तथा उससे सम्बन्धित धनराशि स्थानीय फर्म/व्यक्ति को भुगतान करना होगा।

संख्या: च-2/2023

दिनांक: अप्रैल 28, 2023


पुलिस अधीक्षक
मीरजापुर।

प्रतिलिपि:- कृपया निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

- 1- अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, उ0प्र0, वाराणसी।
- 3- पुलिस उप महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र, उ0प्र0, मीरजापुर।

प्रतिलिपि:- कृपया निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- जिलाधिकारी-मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी जोन को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ कि इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।
- 3- जिला सूचना अधिकारी, मीरजापुर को व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने हेतु।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, नगर पालिका परिषद, मीरजापुर।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मीरजापुर।
- 6- अपर पुलिस अधीक्षक-नगर/आपरेशन, मीरजापुर।
- 7- समस्त क्षेत्राधिकारीगण/ए0आर0ओ0, जनपद-मीरजापुर।
- 8- पुलिस चुनाव सेल, मीरजापुर।
- 9- प्रभारी मीडिया सेल, कैम्प कार्यालय पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आ0का0हेतु।
- 10- प्रतिसार निरीक्षक/समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ कि अपने क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
- 11- प्रधान लिपिक/आंकिक को सूचनार्थ एवं आ0का0हेतु।
- 12- प्रभारी सी0सी0टी0एन0एस0मीरजापुर को इस निर्देश के साथ कि उक्त निविदा को उ0प्र0पुलिस एवं उ0प्र0शासन की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 13- दफ्तरी पुलिस कार्यालय, मीरजापुर को पुलिस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।